

न्यायालय,समाहर्ता,अररिया

बासगीत पर्चा अपील संख्या-12/2014-2015

- (1) नन्दलाल मंडल, पिता-महाबीर मंडल
- (2) बेचन मंडल, पिता-स्व0 जनक लाल मंडल
- (3) कलानंद मंडल, पिता-स्व0 जनक लाल मंडल
- (4) सुरेन्द्र मंडल, पिता-स्व0 जनक लाल मंडल
- (5) लक्ष्मी मंडल, पिता-धेथनु मंडल

सा0-मजगामा, पो0-गैयारी, थाना-अररिया,
जिला-अररिया.....आवेदकगण

बनाम

- (1) सिंहेश्वर मंडल, चनाई मंडल
- सा0-मजगामा, पो0-गैयारी, थाना-अररिया,
जिला-अररिया.....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	<p>आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर भी आवेदक अनुपस्थित है। आवेदक विगत दिनांक 26.03.2020 से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक को दिनांक 24.12.2020 को अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद आवेदक की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद में कोई रूची नहीं रह गया है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के गुण-दोष पर विचार किये बगैर इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">समाहर्ता, अररिया</p> <p align="right">20/04 समाहर्ता, अररिया</p> <p>ज्ञापांक.....1131...../विधि, अररिया, दिनांक.....12/4...../2021</p> <p>प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p align="right">प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया</p>	